

प्रेस नोट संख्या - 39

दिनांक – 23.05.2026

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

“ऑपरेशन चक्रव्यूह” अभियान के तहत थाना रामगंज पुलिस द्वारा चोरी की 01 मोटरसाइकिल व 01 मोबाइल फोन के साथ अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध व अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे “ऑपरेशन चक्रव्यूह” अभियान के क्रम में दिनांक 23.05.2026 को क्षेत्राधिकारी अमेठी श्री मनोज कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना रामगंज पुलिस द्वारा तलाश वांछित, देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान पर मोटरसाइकिल सवार अभियुक्त अम्बेश तिवारी उर्फ राज तिवारी पुत्र दिनेश चन्द्र तिवारी निवासी ग्राम सिधाई थाना शाहगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 34 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल सं० UP 50 DF 8392 के कागज मांगने पर दिखा न सका । तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से 01 SAMSUNG मोबाइल फोन बरामद हुआ ।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि एक माह पूर्व मैं अपने परिचित के यहाँ आजमगढ़ गया था उनके घर के पास चाभी लगी मोटरसाइकिल खड़ी थी उसी पर मोबाइल भी रखा था आस पास किसी के न दिखाई देने पर वह मोटरसाइकिल व मोबाइल चुरा लिया था । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना रामगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त एक शातिर अपराधी है जिसके विरुद्ध जनपद आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कुल 07 अभियोग पंजीकृत हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- अम्बेश तिवारी उर्फ राज तिवारी पुत्र दिनेश चन्द्र तिवारी निवासी ग्राम सिधाई थाना शाहगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 34 वर्ष ।

बरामदगी-

- चोरी की 01 हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल सं० (UP 50 DF 8392) ।
- चोरी का 01 मोबाइल फोन (SAMSUNG) ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु०अ०सं० 58/26 धारा 2(30), 317(2) बीएनएस थाना रामगंज जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री रामराज कुशवाहा प्रभारी निरीक्षक रामगंज जनपद अमेठी ।
2. उ०नि० सतीश चन्द्र थाना रामगंज जनपद अमेठी ।
3. का० प्रदीप यादव थाना रामगंज जनपद अमेठी ।
4. का० जोखन थाना रामगंज जनपद अमेठी ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 169/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 95/22 धारा 406 भादवि थाना खेता सराय जनपद जौनपुर ।
3. मु0अ0सं0 34/23 धारा 174ए भादवि थाना खेता सराय जनपद जौनपुर ।
4. मु0अ0सं0 161/23 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 173/22 धारा 406 भादवि थाना करौदीकला जनपद सुलतानपुर ।
6. मु0अ0सं0 465/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना चांदा जनपद सुलतानपुर ।
7. मु0अ0सं0 174/22 धारा 406 भादवि थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर ।